न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 67/2016

1–मेहरामाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी सुनारी तहसील लाडनूं जिला नागौर राजस्थान

.....अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार लाडनूं, तहसील लाडनूं ,जिला नागौर राजस्थान
2–पटवारी हल्का सुनारी, तहसील लाडनूं ,जिला नागौर, राजस्थान

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री विकास ठोलिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.07.2019 द्वारा तहसीलदार लाडनूं, राजस्व प्रकरण संख्या 02/16 अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 बअनुवान सरकार बनाम मेहरामाराम

निर्णय

दिनांक–16.08.20121

{1}– यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण संख्या 2/2016 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का सुनारी बनाम मेहरामा राम में पारित निर्णय दिनांक 4.07.2019 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(2)—अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी के द्वारा अधीन्स्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं में इस आशय की बाद जांच रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी/अप्रार्थी ने मौजा सुनारी के खसरा नम्बर 321 रकबा 0—11 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर कटाणी रास्ते पर बनी नरेगा सड़क खुर्द बुर्द कर खेत में मिला कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राज0भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस तामिल सुदा होकर प्राप्त हुआ। दिनांक 29.04.2016 को अपीलान्ट/अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपीलान्ट/अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया जिसमें उक्त खसरान के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, द्वारा बअनुवान प्रकरण कुनाराम बनाम तहसीलदार वगैरह में दिनांक 31.03.2016 को एक अस्थाई निषेधाज्ञा होना बताया। दिनांक 24.05.2019 को समस्त ग्रामवासीगण सुनारी में कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 321 गैर मुमकिन रास्ता को खुलवाने का प्रार्थना पत्र मय न्यायालय सिविल न्यायाधीश लाडनूं का निर्णय दिनांक 20.03.2019 की छायाप्रति अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय लाडनूं ने भी निर्णय में राजस्व रिकार्ड के मुताबिक कटाणी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करना माना हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा पटवारी हल्का सुनारी की रिपोर्ट दिनांक 14.03.2016 एवं न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, लाडनूं के निर्णय दिनांक 20.03.2019 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 321 गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया जाना साबित हुआ। उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो कि सरकारी भूमि है। अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उललंधन हाने एवं अतिक्रमण की श्रैणी आने से अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर कस्बा सुनारी के खसरा नम्बर 321 रकबा 0.11 गैर—मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अप्रार्थी पर संवत 2072 की वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये के 50 गुणा के जुर्माना रूपये 13/– अक्षरे तेरह रूपये अर्थदण्ड के आदेश दिये गए।

{3}– अपीलान्ट ने अपनी अपील उक्त निर्णय से व्यथित होकर निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है:–

{3}(1)–यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2)–यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधिक एव तथ्यात्मक त्रुटि की है, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3)–यह है कि यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4)–यह है कि यह है कि तहसीलदार लाडनूं द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी द्वारा जिस भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई हैं एवं जिस पर तहसीलदार लाडनूं द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है।

{3}(5)–यह है कि खेत खसरा नम्बर 336 की दक्षिणी एवं पूर्वी सींव पर रास्ता है इस रास्ते के अलावा अन्य कोंई रास्ता न तो मौके पर था न ही है।

{3}(6)–यह है कि रास्ता दुरूस्ती के संबंध में दावा भी चल रहा है एवं दौराने दावा अगर बेदखल की कार्यवाही होती है तो वह विधि विरूद्ध है।

{3}(7)–यह है कि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई पटवारी की साक्ष्य नही ली गई। जिससे आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(8)–यह है कि अपीलान्ट का रास्ता की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है, इससे पूर्व अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का नाप चौंक करवाया जाना आवश्यक है एवं उसके पश्चात ही अतिक्रमी माना जा सकता है।

{3}(9)–यह है कि अपील श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है। तथा शेष उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

{4}–अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 19.07.19 में प्रस्तुत की गई जो दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/856 दिनांक 22.07.2019 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को पत्र रिकोर्ड हेतु लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनू के पत्र क्रमांकः 687 दिनांक 26.7.19 द्वारा रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने दिनांक 01.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को आज ही तारीख पेशी पर लेने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली दिनांक 13.8.2019 की बजाय दिनांक 01.08.2019 को तारीख पेशी पर ली गयी। वकील अपीलान्ट के निवेदन पर दिनांक 8.8.2019 को तहसीलदार लाडनू को एक कमेटी गठीत कर विवादित भूमि का नाप चौप कर मौका रिपोर्ट भिजवाने सम्बन्धि पत्र लिखा गया। पटवारी हल्का सुनारी व भू–अभिलेख निरीक्षक भरनावा ने उक्त विवादित भूमि का मौका निरीक्षण मय राजस्व रिकार्ड के साथ किया गया। पटवारी सुनारी व भू–अभिलेख निरीक्षक भरनावा की मौका फर्द दिनांक 20.7.2020 अनुसार गै0 मु0 रास्ता सुनारी से ओडिट की और खसरा नम्बर 319 व 336 के मध्य से गुजरता है किन्तु मौके पर खसरा नम्बर 336 के खातेदार मेहरामाराम ने अपनी उतरी –पश्चिमी सींव से कटटानी रास्ते को हटाकर ख0 नं0 336 के पूर्वी–दक्षिणी सींव पर डाल दिया गया है परिवर्तित रास्ता मौके पर चालू है, व आवागमन में बाधा नहीं है।

{5}–अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.07.2019 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 19.07.2019 को इस न्यायालय में पेश की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

गयी तथा 19.07.2019 का दर्ज रजिस्टर की गयी। अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद है।

{6}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। खेत खसरा नम्बर 336 की दक्षिणी एवं पूर्वी सींव पर रास्ता है, इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता न तो मौके पर था एवं न ही है। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि जिस भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गयी है उक्त मुतनाजा भूमि पर अपीलान्ट/अप्रार्थी का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट का रास्ते की भूमि मानकर जो पटवारी रिपोर्ट पेश की है उससे पूर्व अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का नाप चौंक करवाया जाना आवश्यक था उसके पश्चात ही अगर अतिक्रमण पाया जाता तो उसे अतिक्रमी माना जाता। पटवारी हल्का के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं लिए है। अतः बिना नाप चौक के ही अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय किया वो अपास्त किये जाने योग्य है।

{7}– बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस तलब किया । पटवारी हल्का सुनारी के द्वारा इस आशय की बाद जांच रिपोर्ट पेश की गई भूमि पर कटाणी रास्ते पर बनी नरेगा सड़क खुर्द बुर्द कर खेत में मिला कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बेखुबी साबित होता है। उक्त भूमि की किस्म गैर मकुमकिन रास्ता है जो कि सरकारी भूमि है। अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 16(iv) के अनुसार भी गै0मु0 रास्ते की भूमि पर कोई भी खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 8.10.2020 के अनुसार ख0नं0 321 किस्म गै0मु0 रास्ता जो कि ख0नं0 319 व 336 के मध्य बन्द कटाणी रास्ता था उसका संयुक्त रूप से सीमाज्ञान किया जाकर निशानात कायम किए जाकर जेसीबी की सहायता से रास्ता खोला गया । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

रास्ता की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को विधिवत नाप चौक कर निशानात कायम कर अतिक्रमण हटा भी दिया गया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी ने गै0मु0 रास्ते पर अतिक्रमण किया था जिसको सही नाप चौक करके हटाया गया है। गै0मु0 रास्ता की भूमि से सार्वजनिक आवागमन होता है जिसको बन्द किया जाना कतई उचित है। अतः अप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी माना जाकर कस्बा सुनारी के खसरा नम्बर 321 रकबा 0.11 बीघा गैर–मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने के आदेश उचित प्रतीत होता है।

:::: आदेश ::::

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.07.2019 बहाल रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना(नागौर)

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना(नागौर)